महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इन्द्रावती भवन,

ब्लॉक–II द्वितीय तल, नया रायपुर, (छत्तीसगढ़)

विज्ञापन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हेतु जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत में संविदा के विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति हेतु **आवेदन संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनांक 20.03.2018 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में आमंत्रित किये जाते हैं।**

1. रिक्त पदों की जानकारी जिलेवार परिशिष्ट 1 में दर्शित है।
2. शैक्षणिक योग्यता के संबंध मे जानकारी परिशिष्ट 2 में दर्शित है।

नियम एवं शर्तें :–

1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में, पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के नाम से दिनांक 20.03.2018 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय पर **संबंधित जिला पंचायत कार्यालय में प्राप्त** किये जावेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय–समय पर जारी निर्देश के अनुरुप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी 2018 के आधार पर की जावेगी।
3. एकमुश्त संविदा वेतन :–

संविदा वेतन एकमुश्त

क्र.	पदनाम	प्लेन	ग्रेड वेतन	एकमुश्त संविदा वेतन
1	सहायक परियोजना अधिकारी	15600-39100	5400	36465
2	कार्यक्रम अधिकारी	9300-34800	4400	28080
3	सहायक ग्रेड–03	5200-20200	1900	12675

टीप :– विहित पदों पर संविदा नियुक्ति की स्थिति में मासिक एक मुश्त राशि वेतन वह होगा जो वित्त विभाग समय–समय पर समान या विशेष आदेश द्वारा नियत करें।

4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण पत्र के साथ जाति सत्यापन प्रमाण अथवा शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
5. निःशक्तजन को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना हेागा।
6. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना होगा।
7. आवेदन में आवेदक का फोटो एवं समस्त प्रमाण पत्र तथा अंकसूची स्व–प्रमाणित सत्यापित होना आवश्यक है। स्व–प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।

8. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिये निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।

9. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रं. एफ.9–1/2012/1–3 दिनांक– 31 दिसबंर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।

10. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।

11. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

12. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

13. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।

14. जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों को मैरिट आधार पर सूची बद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तद्उपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।

15. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिये 01 पद के विरूद्ध 10 आवेदकों को बुलावा जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिये वरीयता कम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता कम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।

16. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत किया जावेगा।

17. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में अनियमितता के आधार पर महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत किसी पद से पृथक किया गया अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नही की गयी है, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।

18. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा एवं कोई सूचना नही दी जावेगी।

19. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।

20. आवेदक, जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा।

21. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिये पात्र नही होगा।

22. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

23. नियुक्ति के संबंध में जिला कार्यक्रम समन्वयक/कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं बन्धनकारी होगा।

24. बस्तर एवं सरगुजा संभाग के अन्तर्गत आने वाले जिलों में मात्र स्थानीय निवासी ही, संबधित जिलों के जिला संवर्ग के पदों मे भर्ती हेतु पात्र होगें।

25. परिशिष्ट एक में दर्शाये गए पदो की संख्या में परिवर्तन संभावित है।

26. रिक्त पदों की संख्या एवं आरक्षण प्रवर्गवार जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार है। जिला नियुक्ति के पूर्व आरक्षित पदों का मिलान जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर से करने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी करेंगे।

27. विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का विस्तृत प्रारूप संबंधित जिला पंचायत की सूचना पटल, शासन एवं महात्मा गांधी नरेगा की वेबसाइट **mgnrega.cg.gov.in/cgstate.gov.in** से अवलोकन किया जा सकता है।

आयुक्त
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद
विभागाध्यक्ष कार्यालय,
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम .....

स्व–प्रमाणित
वर्तमान फोटो

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत–....., छत्तीसगढ़.

(1) आवेदक का नाम (हिन्दी में) : .....

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) : .....

(2) पिता/पति का नाम (हिन्दी में) : .....

(अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में) : .....

(3) लिंग : .....

(4) जन्म तिथि (अंको में) : .....

(शब्दों में) : .....

(5) दिनांक 01.01.2018 को आयु : वर्ष.....माह.....दिन.....

(6) पत्र व्यवहार का पता : .....

.....

.....पिन. कोड.....

(7) स्थायी पता : .....

.....

.....पिन. कोड.....

(8) क्या आप छ.ग. के मूल निवासी है (हां/नहीं) : .....

(सक्षम प्रधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न)

(9) वर्ग (अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा) : .....
(सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें)

(10) क्या आप निःशक्त है ? : .....

(11) यदि हां तो निःशक्तता का प्रतिशत : .....

एवं निःशक्तता का प्रकार : .....

(12) (अस्थि/श्रवण/दृष्टि) (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र) : .....

क्रमशः....

(13) शैक्षणिक योग्यता :–

निम्नांकित स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें :–

क्र.	परीक्षा का नाम	परीक्षा में सम्मिलित विषय/विषय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष	बोर्ड/विश्व विद्यालय का नाम	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	हाई स्कूल						
2	हायर सेकेण्डरी						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						
5	कम्प्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र						
6	अन्य योग्यता						

(14) शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव (प्रमाण पत्र) संलग्न करें।

पद का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	कार्यरत अवधि	वेतनमान एवं संविदा वेतन	नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं दिनांक
		दिनांक ..... से दिनांक ..... तक कुल वर्ष ..... माह		

(15) क्या आवेदक को पूर्व में अनियमितता के आधार पर पद से पृथक किया गया है अथवा उनकी संविदा सेवा वृद्धि नही की गयी है, यदि हाँ तो जानकारी देवें :.....

.....

(16) वैवाहिक स्थिति (विवाहित/अविवाहित) : .....

- पति/पत्नि का नाम : .....
- पति/पत्नि की जन्म तिथि : .....
- विवाह की तिथि : .....
- बच्चों की संख्या : .....

1. नाम ..... जन्म तिथि .....
2. नाम ..... जन्म तिथि .....
3. नाम ..... जन्म तिथि .....

(17) सहपत्र :– स्व–प्रमाणित पत्रों की सूची विवरण सहित (निम्नांकित क्रम में संलग्न किये जाये)

(1) हाई स्कूल	(2) हायर सेकेण्डरी
(3) स्नातक	(4) स्नातकोत्तर
(5) कम्प्युटर संबंधी प्रमाण पत्र	(6) अनुभव प्रमाण पत्र
(7) निशक्तता प्रमाण पत्र	(8) स्थायी जाति प्रमाण पत्र
(9) जाति सत्यापन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र	(10) मूल निवास प्रमाण पत्र
(11) अन्य योग्यता का प्रमाण पत्र	

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन (बायोडाटा) में दी गई सम्पूर्ण जानकारी सत्य एवं सही है। मैं सहमति देता हूं कि किसी भी प्रकार की गलती या गलत जानकारी के कारण मुझे चयन से वंचित किया जा सकता है एवं मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है। मुझे ..... के पद पर नियुक्ति की पात्रता है। जिसे आवश्यकता होने पर प्रमाणित करने के सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।

स्थान :.....

दिनांक:.....

आवेदक का हस्ताक्षर

पूरा नाम: .....

परिशिष्ट –1

क्र	जिले का नाम	रिक्त पद	विज्ञापन हेतु रिक्त पदों में प्रवर्गवार संख्या (रोस्टर अनुसार)																				कुल योग
			अनारक्षित पदों की संख्या					अन्य पिछड़ा वर्ग पदों की संख्या					अनुसूचित जाति पदों की संख्या					अनुसूचित जनजाति की संख्या					
			मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भ.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भ.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भ.पू.सै.	योग	मुक्त	महिला	निःशक्त जन	भ.पू.सै.	योग	
1	महासमुद	सहायक परियोजना अधिकारी	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
2	दंतेवाड़ा	कार्यकम अधिकारी	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
3	गरियाबंद	सहायक ग्रेड – 03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	3	3

आयुक्त,
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद
छत्तीसगढ़, नया रायपुर

परिशिष्ट –2

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	विवरण	अंक
1	सहायक परियोजना अधिकारी	1. प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर	स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :–	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
2	कार्यक्रम अधिकारी	1. प्रथम श्रेणी मे एम.बी.ए./बी.ई./गणित अथवा भौतिक विषय में स्नातकोत्तर	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा पर 100 अंक का Weightage देते हुए	15
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :–	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
3	सहायक ग्रेड–03	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण, अथवा पुरानी हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविधालय से किसी भी विषय में स्नातक पाट्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्ष डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5000 की (Key) डिप्रेशन की प्रतिघण्टा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जावेगी)।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	40
			कम्प्यूटर व प्रायोगिक परीक्षा से प्राप्त मेरिट अंक के आधार पर 100 अंकों का Weightage देते हुए	45
			शासकीय ग्रामीण विकास योजनाओं में कम से कम समान वेतनमान पर कार्य अनुभव :–	
			न्यूनतम 1 से 2 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

आयुक्त,
महात्मा गांधी रा.ग्रा.रो.गा.परिषद
छत्तीसगढ़, नया रायपुर